भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 303

गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजना

303. श्रीमती शांता क्षत्रीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेष रूप में पश्चिमी बंगाल में कोविड-19 के दौर में पर्यटन उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए अब तक कौन-कौन से विशेष कदम उठाए गए और क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित पर्यटन उद्योग सहित पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए ऋण योजनाओं के साथ कई कदम और उपाय किए हैं। इनका **विवरण** संलग्नक में दिया गया है।

****

अनुबंध

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजना के सम्बन्ध में दिनांक 03.02.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 303 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए घोषित किये गए विभिन्न राजकोषीय रहत और अन्य उपाय निम्नानुसार हैं :-

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से एमएसएमई के लिए 3.00 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण में 4 साल की अवधि और 12 महीने का अधिस्थगन होगा।

ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनमें 90% कर्मचारियों की आय 15000 से कम है उन संगठनों के लिए भविष्य निधि अशंदान को तीन माह तक के लिए माफ कर दिया है।

iii. आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के पीएफ योगदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iv. टीसीएस को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित दिया गया है।

v. 5.00 करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बाकी @ 9% दंडात्मक ब्याज बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइल करने का तीन महीने के लिए स्थगन किया गया ।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों में राहत दी गई ।

vii. आरबीआई ने टर्म लोन पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया।

viii. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) स्क्रिप जारी करने की सहमति दी गई। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ एसईआईएस को 2019-20 के लिए जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त पर सहमति दी कि राशि व्यय बजट के माध्यम से एक नए लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदान की जाएगी। ।

ix. सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए 31.3.2021 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 की घोषणा की। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और मुक्त समय और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया था। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2022 तक या 4.5 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी किए जाने तक जो भी पहले हो, गारंटी तक बढ़ा दिया गया था। योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण नीचे दिया गया है:

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य य◌ोजना के अनुसार 30.09.2021 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	के तहत समर्थन	जारी गारंटियों की संख्या	योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋणों के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रुपये में)
यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	2,732	1,371.62
आथित्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,160	5,430.96
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	218	3,403.90
पर्यटन, होटल और रेस्तरां	ईसीएलजीएस 1.0	96,219	3559.43
कुल		**1,02,329**	**13,765.91**

x. 12 नवंबर 2020 को, सरकार ने कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xi. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली हेतु परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और इन सभी हितधारकों के बीच परिचालित किया गया हैं।

xii. कोविड-19 के बाद के पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बी एंड बी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और जारी कर दिए हैं ताकि व्यवसाय को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।

xiii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के

लिए साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हितधारकों को घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के लिए दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच बढ़ाने हेतु, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान हो सकें, संशोधित किया गया है । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xv. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गई है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xvi. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च, 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

xvii. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।

xviii. 28 जून 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। तदनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)शुरू की है। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे। टीटीएस प्रत्येक 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि पर्यटक गाइड प्रत्येक 1 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फौजदारी/पूर्व भुगतान शुल्क की छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। दिशानिर्देश एनसीजीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनसीजीटीसी द्वारा प्रकाशित किए गए दिशानिर्देशों तथा माननीय मंत्री (पर्यटन) द्वारा अनुमोदित एलजीएससीएटीएसएस हेतु दिशानिर्देशों के साथ प्रस्ताव दिनांक

04.10.2021 को उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह योजना पहले से ही दस से अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से परिचालित है। योजना शुरू करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं/लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किए जा रहे हैं और चेक वितरित किए जा रहे हैं।

xix. पर्यटन मंत्रालय अपनी विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार योजना के तहत विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में पर्यटन पैदा करने वाले बाजारों में भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है। उपरोक्त उद्देश्यों को एक एकीकृत विपणन और प्रचार रणनीति और यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों और भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है।

xx. विदेशी संवर्द्धन एवं प्रचार योजना का विपणन विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विदेशी बाजारों में भारत में पर्यटन का संवर्द्धन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

xxi. पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में "पर्यटन सहायता प्रकल्प" पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में हितधारकों को बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण की सिफारिश करके और कुल ऋण राशि के अधिकतम 4% के अधीन प्रथम वर्ष के लिए ब्याज के 50% की सीमा तक ऋण ब्याज सबवेंशन के अनुसार पर्यटन इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की एक अग्रणी योजना है।

****